

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	सिंगरौली जिले में बैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत पेयजल प्रदाय हेतु उच्च स्तरीय पानी की टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण हेतु 1.608 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 1.693 हे.) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:- 06/02/2023

स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal